(11)

न्यायालय राजस्व मंडल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एम0 के0 सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2039–तीन/2013 – विरूद्ध आदेश दिनांक 29–04–2013 पारित व्दारा – अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर – प्रकरण कमांक 613/2011–12 अपील

जसबन्त सिंह पुत्र बृजमण्डल सिंह,
निवासी ग्राम ओझरपुर तहसील
मुंगावली जिला अशोकनगर,म0प्र0 ---आवेदक

विरूद्ध

1– श्रीमती गनेशी वाई पत्नि मालमसिंह
2– मुन्ना 3– हरचन्दी 4– रबि
तीनों पुत्रगण मालम सिंह
5– सुश्री गिरजावाई पुत्री मालम सिंह
निवासीगण ग्राम केशलोन तहसील
मुंगावली जिला अशोकनगर मध्य प्रदेश --अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री जी0पी0नायक)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री के0के0द्विवेदी)

आ दे श

(आज दिनांक 2–12–2015 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्र0क0 613/2011–12 अपील में पारित आदेश दिनांक 29–04–2013 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक ने ग्राम ओझरपुर स्थित भूमि सर्वे कमांक 78/7 रकबा 6.061 हैक्टर में से अॅश रकबा 1.045 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया

गया है) रिकार्डेड भूमिस्वामी मालमसिंह से क्रय किया। विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व अमले ने केता आवेदक का नामान्तरण नहीं किया, इसी दरम्यान मालमसिंह की मृत्यु हो जाने से ग्राम की नामान्तरण पंजी के सरल क्रमांक 4 पर आदेश दिनांक 23-1-2000 से उसके वारिसान अनावेदकगण का नामान्तरण कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी मुंगावली के समक्ष प्रस्तुत करने पर प्रकरण क्रमांक 67/2009-10 अपील में पारित आदेश दिनांक 18-6-12 से नामान्तरण पंजी के सरल क्रमांक 4 पर आदेश दिनांक 23-1-2000 से अनावेदकगण के हित में किया गया नामान्तरण निरस्त किया एंव विक्रय पत्र के आधार पर केता आवेदक का नामान्तरण स्वीकार किया। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष अपील होने पर प्र.क्र. 613/2011-12 अपील में पारित आदेश दिनांक 29-04-2013 से अपील स्वीकार की गई एंव अनुविभागीय अधिकारी, मुंगावली का आदेश दिनांक 18-6-12 निरस्त किया गया। इसी आदेश से दुखी होकर यह निगरानी की गई है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य निर्विवाद है कि आवेदक ने वादग्रस्त भूमि तत्समय रिकार्डेड भूमिस्वामी अनावेदकगण के पति/पिता से पंजीकृत विक्रय पत्र से क्रय की है, तब क्या विक्रय पत्र के आधार पर केता का नामान्तरण नहीं होगा ?

1. भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)-धारा 110 - रिकार्डेड भूमिस्वामी व्दारा भूमि का विक्रय - भूमि विक्रय के पश्चात् विक्रीत भूमि में विक्रेता के कोई अधिकार शेष नहीं रहते - विक्रेता के मरणोपरांत उसके उत्तराधिकारियों को भी विक्रीत भूमि में किसी प्रकार के अधिकार नहीं पहुंचते।
2. भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)-धारा 109, 110 पॅजीकृत विक्रय पत्र की बैधता/अवैधता की जांच करने की शक्तियॉ राजस्व न्यायालय को नहीं है ।

परन्तु अपर आयुक्त, ग्वालिर संभाग , ग्वालियर ने आदेश दि. 29-4-13 पारित करते समय उक्त की अनदेखी की है जिसके कारण उनके व्दारा पारित आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

5/ अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ने आदेश दिनांक 29-4-13 में विवेचित किया है कि आवेदक व्दारा विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण हेतु दिया गया आवेदन एक वार निरस्त हो चुका है उसे दुवारा नामान्तरण कराने की पात्रता नहीं है - निकाला गया निष्कर्ष त्रृटिपूर्ण है क्योंकि पंजीकृत विक्रय पत्र पूर्ण विक्रय पत्र है एंव पंजीकृत विक्रय पत्र पर से नामान्तरणकर्ता अधिकारी नामान्तरण करने हेतु वाध्य है, जब तक पंजीकृत विक्रय पत्र शून्य घोषित नहीं होता - विक्रय पत्र पर से नामान्तरण किया जावेगा। म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 110 में व्यवस्था दी गई है कि नामान्तरण आवेदन एक वार दिया जाता है, परन्तु प्राड.न्याय लागू न होने से आवेदन पत्र द्वित्तीय वार दिया जा सकता है, उसके लिये कपट या छल-प्रपंच का आधार होने पर न्यायालय व्दारा द्वित्तीय आवेदन पत्र ग्राह्य किया जा सकता है। म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है। यह नैसर्गिक न्याय से संचालित होता है। न्यायदान महत्वपूर्ण है और जहां

राजस्व अधिकारी को यह अपेक्षित लगता है कि मिथ्या प्ररूपण से प्रथम आवेदन पत्र दिया गया, जबकि वह हिताधिकारी नहीं था, ऐसे नामान्तरण को पुनः विचार में लिया जा सकता है और यह द्वित्तीय आवेदन पत्र से ही ज्ञात हो सकता है एंव न्यायालय द्वित्तीय आवेदन पत्र विचार हेतु ग्राह्य कर सकता है। विचाराधीन प्रकरण में विक्रीत भूमि पर विक्रेता के अधिकार शेष न रहने के बाबजूद उसके उत्तराधिकारीगण का नामान्तरण करने पर अनुविभागीय अधिकारी मुंगावली के समक्ष आवेदक ने अपील में चुनौती दी है एंव स्वयं का नामान्तरण न किये जाने का तथ्य रखा है ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग व्दारा आदेश दिनॉक 29-4-2013 में निकाला गया उक्तानुसार निष्कर्ष त्रृटिपूर्ण है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्र0क0 613/2011-12 अपील में पारित आदेश दिनांक 29-04-2013 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है फलस्वरूप अनुविभागीय अधिकारी मुंगावली व्दारा प्रकरण कमांक 67/2009-10 अपील में पारित आदेश दिनांक 18-06-2012 स्थिर रहने से ग्राम ओझरपुर स्थित भूमि सर्वे कमांक 78/7 रकबा 6.061 हैक्टर में से आवेदक व्दारा क्रीत रकबा 1.045 हैक्टर पर शासकीय अभिलेख में आवेदक का नाम दर्ज रखे जाने के आदेश दिये जाते हैं।

(एम.के.सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर